संख्या-49/2023/368/52-1-2023-1596346

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2023**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग कार्य हेतु मानदेय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-5712/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/जि0टैग-379/2023 दिनांक 24.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग कार्य हेतु प्रति टैग रू0 100/- की दर से मानदेय भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 06-12-2022 के बिन्दु सं0-2(।।) में वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सृजित 112084 परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग कार्य हेतु व्यय भुगतान रू0 100/- प्रति टैग की दर से **कॉलम-6 में अंकित केन्द्रांश की धनराशि रू0 1,12,08,400/-(रूपये एक करोड़ बारह लाख आठ हजार चार सौ मात्र)** एस0एन0ए0 पूल फण्ड में जमा राजस्व मद में केन्द्रांश की धनराशि रू0 1354.574 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष केन्द्रांश रू0 1161.938 लाख से निम्नानुसार आहरित कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	योजना	जनपद	सृजित सम्पत्ति	लागत दर (प्रति टैग)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	विभिन्न जनपद	112084	100	1,12,08,400

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022, 08.11.2022 एवं 10.11.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) टैगिंग कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल उक्त कार्य को सम्पादित करने वाले फैसिलिटेटरों/फील्ड आफिसियल पर ही भुगतान किया जायेगा।

(4) किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

(6) प्रश्नगत कार्य पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) वित्तीय स्वीकृति का आदेश एस0एन0ए0 में जमा धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित तालिका के कॉलम-6 में अंकित धनराशि के व्यय की अनुमति/सहमति इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य 02 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत व्यय किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(11) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-125636-एम0एस0डी0पी0-21/47/2022-एम0एस0डी0पी0-मोमा दिनांक 06.12.2022 के प्रस्तर-2(ii) में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(14) अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर उपभोग प्रमाण-पत्र व अन्य अभिलेख सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं 08.11.2022 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-368(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. **सम्बन्धित जनपदों** के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
10. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in